न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
तेजसिंह पुत्र भवसिंह जाति राजपूत, निवासी रानीवाडा खुर्द, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।		राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री त्रिलोकचंद महेता, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष पटवारी हल्का रानीवाडा खुर्द द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नंबर 1772 में 0.04 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1773 में 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि के लगान 3.68 रूप्ये की 50 गुणा राशि रूपये 184 का जुर्माना एवं तीन माह के सिविल कारावास के आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का नाजायज कब्जा नहीं है। बल्कि ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द ने पट्टा जारी कर रखा है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बैहसियत काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा सही पैमाईश न कर गलत पैमाईश कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार की पत्रावली पर पूर्व में बेदखली करने की कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही अपीलांट को उक्त आराजी से पूर्व में कभी बेदखल किया गया है। सेटलमेंट के दौरान रास्तो की स्थिति को परिवर्तित किया गया है तथा पुराने रास्तों की स्थिति व नये रास्तो की स्थिति में काफी विरोधाभाष है। किन्तु पटवारी हल्का ने नये रेकर्ड के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर गैरकानूनी कब्जा बताया है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया हैं जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नंबर 1772 में 0.04 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1773 में 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नंबर 1772 में 0.04 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1773 में 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर से अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने के कारण पटवारी हल्का रानीवाडा खुर्द द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उसके पश्चात दिनांक दिनांक 31.03.2014 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि से बेदखल

करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि के लगान 3.68 रूप्ये की 50 गुणा राशि रूपये 184 का जुर्माना एवं तीन माह के सिविल कारावास के आदेश प्रदान किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 07/2014 में नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2014 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली